



**उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर**  
**// ज्ञापन //**

क्रमांक B/3134 /  
V-5-4/74 (जबलपुर)

जबलपुर दिनांक 26/जून 2021

प्रति,

- (1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
समस्त (म0प्र0)
- (2) प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
समस्त (म0प्र0)

विषय:- न्यायिक अधिकारी द्वारा किराये पर लिये गये निजी आवासगृह के संबंध में।


संदर्भ:- (1) आपकी ओर प्रेषित रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक B/3003, दिनांक 24 जून 2021 मय सहपत्र अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल का ज्ञापन क्रमांक-2139/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक-11.06.2021.

(2) सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल से नवीन प्राप्त संशोधनयुक्त ज्ञापन क्रमांक-2275/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक-24.06.2021.

—00—

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक, दिनांक 24 जून 2021 के द्वारा प्रेषित अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के ज्ञापन क्रमांक-2139/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक-11.06.2021 के अनुक्रम में आपकी ओर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल से नवीन प्राप्त संशोधनयुक्त ज्ञापन क्रमांक-2275/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक-24.06.2021 को प्रेषित करते हुये अनुरोध है कि न्यायिक अधिकारी द्वारा किराये पर लिये गये निजी आवासगृहों के संबंध सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-2275/21-ब(एक) भोपाल, दिनांक-24.06.2021 के परिपालन में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

  
26/06/21  
(सनत कुमार कश्यप)  
रजिस्ट्रार (कार्य/अंधोसरचना)

—000—

## मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 2275 / 21-ब(एक) / 2021

भोपाल, दिनांक 24.06.2021

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,  
उच्च न्यायालय,  
जबलपुर, मध्यप्रदेश

**विषय :-** श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर वर्तमान में विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल का निजी किराए पर आवास की मासिक राशि के भुगतान हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में।


**संदर्भ :-** रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का पत्र क्रमांक D/4729/V-5-4/74 जबलपुर दिनांक 11.11.2020 एवं स्मरण-पत्र क्रमांक A/1490/V-5-4/74 जबलपुर दिनांक 29.05.2021

—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से चाहे गए मार्गदर्शन के अनुक्रम में विभाग द्वारा पत्र क्रमांक 2139 / 21-ब(एक) दिनांक 11.06.2021 के माध्यम से दिये गये परामर्श में राज्य शासन एतद्द्वारा वित्त विभाग की अनुशंसा से निम्नानुसार संशोधन करता है:-


“अधिकतम 3 माह की अवधि या स्थानांतरित स्थान पर आवास आवंटित होने तक (जो भी पहिले हो)” के स्थान पर “अधिकतम 3 माह की अवधि या स्थानांतरित स्थान पर आवास आवंटित होने के पश्चात् आवंटन आदेश में उल्लेखित अवधि अनुसार आधिपत्य प्राप्त होने तक (जो भी पहिले हो)” किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमति प्रदान की जाती है।”

अतः तदनुसार पुनः कार्यवाही किए जाने का अनुरोध है।

  
6 (रत्नेशचन्द्र सिंह बिसेन)  
सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग  
भारत

उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर  
// ज्ञापन //



क्रमांक— 3/3003  
V-5-4/74

जबलपुर दिनांक 24 जून 2021.

प्रति,

- (1) प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
समस्त (म०प्र०)
- (2) प्रधान न्यायाधीश,  
कुटुम्ब न्यायालय,  
समस्त (म०प्र०)


विषय:— न्यायिक अधिकारी द्वारा किराये पर लिये गये निजी आवासगृह के संबन्ध में।

संदर्भ:— अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल का ज्ञापन  
क्रमांक—2139/21-ब(एक)/2021, दिनांक—11.06.2021.

—00—

निर्देशानुसार, उपरोक्त विषयांतर्गत आपकी ओर अतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल कार्यालय के ज्ञापन क्रमांक—2139/21-ब (एक)/2021, भोपाल, दिनांक— 11.06.2020 की प्रतिलिपि संलग्न कर प्रेषित करते हुये लेख है कि उक्त पत्र के परिपालन में कार्यवाही की जाना सुनिश्चित की जावे।

संलग्न:—उपरोक्तानुसार

  
23/06/2021  
(सनत कुमार कश्यप)  
रजिस्ट्रार (कार्य/अंघोसरचना)

## मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग

क्रमांक 2139/21-ब(एक)/2021

भोपाल, दिनांक ॥ .06.2021

प्रति,

श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल,  
उच्च न्यायालय,  
जबलपुर, मध्यप्रदेश

**विषय :-** श्री अवधेश कुमार गुप्ता, प्रथम अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, जबलपुर वर्तमान में विधिक सलाहकार, लोकायुक्त संगठन, भोपाल का निजी किराए पर आवास की मासिक राशि के भुगतान हेतु प्राप्त अभ्यावेदन के संबंध में।

**संदर्भ :-** रजिस्ट्रार (कार्य एवं अधोसंरचना), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर का पत्र क्रमांक D/4729/V-5-4/74 जबलपुर दिनांक 11.11.2020 एवं स्मरण-पत्र क्रमांक A/1490/V-5-4/74 जबलपुर दिनांक 29.05.2021


—00—

उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से चाहे गए मार्गदर्शन के अनुक्रम में राज्य शासन एतद्द्वारा वित्त विभाग की अनुशंसा प्राप्त कर निम्नानुसार अभिमत दिया जाता है:-

"प्रमुख सचिव, विधि एवं विधायी कार्य विभाग भोपाल द्वारा गठित विभागीय समिति द्वारा दिए गए प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम 3 माह की अवधि या स्थानांतरित स्थान पर आवास आबंटित होने तक (जो भी पहिले हो) अपने आधिपत्य में प्राईवेट आवास स्थानांतरण के पश्चात् भी रखे जाने की अनुशंसा की गई है, पर सहमति प्रदान की जाती है।"

अतः तदनुसार कार्यवाही किए जाने का अनुरोध है।

(प्रमुख सचिव, विधि द्वारा अनुमोदित।)

  
(संतोष प्रसाद शुक्ल)  
अतिरिक्त सचिव,

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग  
भोपाल